नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्र. एफ-3-95-2014-बत्तीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13(1) के अन्तर्गत कैमोर-विजयराघवगढ़ निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चत की गई हैं:—

अनुसूची

कैमोर-विजयराघवगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में—ग्राम बडारी, ग्राम बम्हनगवा, कैमोर नगर परिषद् की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में—ग्राम बडारी, ग्राम झिरिया की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में—ग्राम मझगवां, ग्राम रमना एवं ग्राम बंजारी की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में—ग्राम हिनोता, ग्राम देवमझगवां, ग्राम धनेरा खुर्द, ग्राम सलैया कोहारी एवं विजयराघवगढ़ नगर परिषद् की पूर्वी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2015

सूचना

क्र. एफ-3-33-2014-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा मैहर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला सतना, म.प्र.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद्, मैहर, म.प्र.
4. उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सतना, म.प्र.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2015

क्र. एफ-3-33-2014-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-33-2014-बत्तीस, दिनांक 26 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, अवर सचिव.

Bhopal, the 26th February 2015

NOTICE

No. F-3-33-2014-XXXII.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Maiher, 2031 (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Commissioner, Rewa Division, Rewa, M.P.
2. Collector, District Satna, M.P.
3. Chief, Municipal Officer, Municipal Council Maiher, M.P.
4. Dy. Director, Town & Country Planning Distt. Office Satna, M.P.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.